



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56017

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9176 वर्ष 2026

हेमंत कुमार

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मुन्ना प्रसाद यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्राथमिकी में आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप यह हैं कि आवेदक ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को लखनऊ ले जाकर बहलाया-फुसलाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह गर्भवती हो गई, जिसे आवेदक श्याम अस्पताल ले गया और उसका गर्भपात कराया। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें लीं और वीडियो भी तैयार किया तथा उन्हें वायरल करने की धमकी दी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि जब वह अपने घर के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पीछे नहा रही थी, तब आवेदक ने एक वीडियो तैयार किया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसके अलावा उसने प्राथमिकी के कथानक को दोहराया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज बयान के अलावा, पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में आरोप लगाया है कि आवेदक ने उसके भाई को वीडियो वायरल किया है, जबकि पीड़िता के भाई से भी पूछताछ की गई है और उसने इनकार किया है कि उसके मोबाइल पर कोई वीडियो भेजा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने अस्पताल के प्रबंधक के बयान की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और तर्क दिया है कि अस्पताल के प्रबंधक ने विशिष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता के नाम का कोई मरीज अस्पताल नहीं आया था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि पूरी अभियोजन कहानी झूठी और मनगढ़ंत है और आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फंसाया गया। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा तथा उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जिन्हें न्यायालय उस पर लगाना उचित समझे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 02.01.2026 से जेल में बंद है।

3. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि विचारण से पूर्व के चरण में आवेदक की निर्दोषिता का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

4. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, साक्ष्य की प्रकृति और मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. थाना कोतवाली खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर में पंजीकृत केस क्राइम संख्या 1070 वर्ष 2025, धारा 87, 69, 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत शामिल आवेदक- **हेमंत कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो बड़ी स्थानीय जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों को डराएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
 - (iv) आवेदक वैसा ही अपराध नहीं करेगा जैसा कि आवेदक पर आरोपित है, या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे ऐसा व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
6. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

18 मार्च, 2026

एस. अली

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।